उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2

संख्या-35/2016/07मु0स0/92-2-16-88जांच/2016

लखनऊ:: दिनांक:: 26 जुलाई 2016

कार्यालय-ज्ञाप

केरल राज्य में मेडिकल कालेज एवं हास्पिटल, पेरीपल्ली, कोल्लम के निर्माण कार्य में की गयी अनियमितता के संबंध में केन्द्रीय सर्तकता आयोग (सी0वी0सी0) की जॉच आख्या में अन्य अधिकारियो के साथ श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता (वर्तमान में सेवानिवृत्त अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश) को धनराशि रू0 16,47,52,780.00 की क्षति के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर उनके विरूद्व सिविल सर्विस रेगुलेशन (सी0एस0आर0) के नियम-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- जॉच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि विधिवत जॉच कार्यवाही पूर्ण कर जॉच आख्या (02 प्रतियों में) एक माह में शासन में उपलब्ध करायें।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

महेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

संख्या-35 /2016/07मु0स0/92-2-16 तददिनांकित।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति (संलग्नक सहित) संलग्नकर इस आशय से प्रेषित कि कृपया श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता (वर्तमान में सेवानिवृत्त अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0) के विरूद्व आरोप पत्र के आलेख की 03 प्रतियॉ शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ।

3- श्री पी0आर0 राय, तत्कालीन मुख्य अभियंता (वर्तमान में सेवानिवृत्त अभियंता, ग्रा0अ0वि0; उ0प्र0) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।

4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बाबूराम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in